

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 86/2026

तारीख दायर - 20/4/2026

शंकरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की  
झोपडिया (श्यामपुरा) तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रमोद पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. सुरेश पुत्र कैलाश जाति सोडाणी उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0
3. चन्द्रवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी दलसिंह जी का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0
4. नानी पुत्री नन्दा जाति भील उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक - 4/5/2026

प्रार्थना पत्र शंकरलाल मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाडी एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 117 पर अंकित आराजी संख्या 268/41 रकबा 0.2428 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पथरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र सलगन है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलगन जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलगन है। पथरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को पथरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पथरगढी कमिश्नर फीस नियमानुसार तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पथरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम भटखेडी पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 117 पर अंकित आराजी संख्या 268/41 रकबा 0.2428 हे0 भूमि की बशामलात पडौसियान के पथरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पथरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनाथ तहसीलदार विजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 86/26

प्रेषित :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 86/26 पत्थरगढी बाबत।

तारीख दायर - 21/4/26

तारीख निवेदन - 4/5/26

शंकरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झोपडिया (श्यामपुरा) तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रमोद पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. सुरेश पुत्र कैलाश जाति सोडाणी उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा राज0
3. चन्द्रवीर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी दलसिंह जी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा राज0
4. नानी पुत्री नन्दा जाति भील उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम भटखेडी पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 117 पर अकित आराजी संख्या 268/41 रकबा 0. 2428 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढी प्रार्थीया अदा करेगी। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत

करे।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

